(156)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1298–तीन/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20–07–2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 860/अपील/2010–11.

....

विष्णु प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गोबिन्दसिंह परिहार (मृतक)

वारिसानः–

1–श्रीमती शकुन्तला सिंह विधवा विष्णु प्रताप सिंह

2–पुष्पराज सिंह पुत्र स्व0 विष्णु प्रताप सिंह

3–हेमराज सिंह पुत्र स्व0 विष्णु प्रताप सिंह
निवासीगण ग्राम हमहवा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0

4–श्रीमती सरला सिंह पुत्री स्व0 विष्णु प्रताप सिंह
पत्नी श्री बैजनाथ सिंह गहरवार निवासी पहाऊ
तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

5–श्रीमती सुरेखा सिंह पुत्री स्व0 विष्णु प्रताप सिंह
पत्नी श्री पुष्पेन्द्र सिंह गहरवार निवासी ग्राम
रामडीह तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0

––– आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1–मु0 गेंदिया उर्फ जुमरतुआ पत्नी जान मोहम्मद
निवासी ग्राम पड़ेनिया खुर्द तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0 प्र0

2—अनसारूल हक तनय जान मोहम्मद
निवासी ग्राम पड़ेनिया खुर्द तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0 प्र0

——— अनावेदकगण

....
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण
....

आदेश
(आज दिनांक 18/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—07—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका मु0 गेंदिया उर्फ जुमरतुआ पत्नी जान मोहम्मद द्वारा विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जहां पर तहसीलदार गोपदबनास ने दिनांक 6.10.09 को विवादित आराजी पर नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिससे से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 21.3.11 को स्वीकार की इससे से दुखित होकर अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 20.7.2011 द्वारा अपील स्वीकार की गई। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3—आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से ग्राम पड़ेनिया खुर्द तहसील गोपदबनास जिला सीधी की आराजी खसरा कमांक 198 रकवा 0.41

एकड़ का विकय गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 के पति एवं कमांक–2 के पिता स्व0 जान मोहम्मद के हक में किया गया था। स्व0 जान मोहम्मद के नाम जिसका नामांतरण भी हो गया था, स्व0 जान मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में कभी ळाी किसी भी प्रकार के सुधारनामा की कार्यवाही उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र में नहीं की। उनकी मृत्यु के कई वर्षो बाद अनावेदकगण द्वारा फर्जी व कूटरचित सुधारनामा लेख की रचना कर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो अपने आप में संदिग्ध है और ऐसा कोई सुधारनामा लेख आवेदक के बाबा ने नहीं लिखाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मूल रजिस्टर्ड विकंय पत्र में आराजी खसरा कमांक 198 रकवा 0.41 एकड़ की जमीन विकय की गई सुधारनामा लेख में इसे लिपिकीय त्रुटि बताकर इसे 198 के स्थान पर 199 एवं 0.41 एकड़ की जगह 0.31 एकड़ यानी 0.125 है0 बताया गया है। इतनी बड़ी त्रुटि रकवा एवं नंबर में होना संभव नहीं है, क्यों कि 198 और 199 का रकवा अलग–अलग है ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातों की अनदेखी कर प्रश्नाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी ने उक्त नामांतरण कार्यवाही में निगरानीकर्ता को बिना कोई सम्मन सूचना दिये बिना इश्तहार प्रकाशन किये एवं निगरानीकर्ता को बिना सुने नामांतरण आदेश पारित किया गया है जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर विधि एवं त्यों की सम्यक् विवेचना कर नामांतरण आदेश निरस्त किया गया था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक के बाबा स्व0 बच्चूलाल सिंह परिहार ग्राम पडेनिया पवाई की आराजी खसरा कमांक 199 के बजाय सहवन आराजी खसरा नम्बर 198 रजिस्ट्री में लिखा दिये थे जिस पर स्व0 जान मोहम्मद अशिक्षित होने के कारण भूमि खसरा कमांक 198 का सहवन नामांतरण करा लिये जबकि भूमि खसरा

नम्बर 198 मौके से नहर एवं सड़क की भूमि है, जबकि आराजी खसरा कमांक 199 पर अनावेदकगण का कब्जा मौके से कय दिनांक से था और अनावेदकगण यही मानते रहे कि भूमि खसरा कमांक 199 का ही नामांतरण ही उनके नाम हुआ है, जानकारी होने पर अनावेदक भूमि के विकेता बच्चूलाल सिंह परिहार ने एक सुधारनामा विलेख स्व0 जान मोहम्मद के नाम लिखाया थॉ जिसमें यह बताया गया है कि आराजी खसरा नमबर 198 नहर एवं सड़क की भूमि है आराजी खसरा कमांक 199 जान मोहम्मद के नाम विकी की गई है जिस पर जानकारी होने के वाद अनावेदकगण तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें विधिवत सम्मन आवेदक को भेजा गया इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, लेकिन आवेदक ने तहसील न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं किया, तो जांच एवं साक्ष्य पश्चात उक्त कय सुधा भूमि का नामांतरण दिनांक 6.10.09 को अनावेदकगण के नाम कर दिया गया। और राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि भी कर दी गई। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.7.11 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदिका कमांक–1 के पति द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.05.1982 द्वारा आराजी नम्बर 198 कोकय किया गया तथा सुधारनामा 12.4.88 को किया गया। उसी के आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 6.10.09 को नामांतरण आदेश पारित किया गया। दिनांक 7.5.10 को आवेदक के आवेदन पत्र पर पुनः नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 7.5.10 की कार्यवाही किस आधार पर प्रारंभ की, और पूर्व आदेश दिनांक 6.10.09 में प्रकियात्मक त्रुटि की गई है, इसकी कोई विवेचना नहीं की गई है। एक बार नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर तहसीलदार के द्वारा पुनः नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। यदि कार्यवाही प्रारंभ ही करनी थी तो वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर प्रारंभ किया जा सकता था, दूसरी ओर आवेदक द्वारा उसी समय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। आवेदक द्वारा एक साथ दो कार्यवाही की गई हैं जो विधि की दृष्टि से उचित नहीं समझता हूँ। अपर

आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी का आदेश दिनांक 21.3.2011 निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 860/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर